फाईल सं0-23-10002(099)/6/2022- -10-

आई/215991/2022

संख्या- 117/2022/आई 215991/002-23-10002-099-6-2022

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2022

विषयः-अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लो0नि0 कार्य -80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मदों में रू0 1200 लाख के पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (बजट 'क' वर्ग), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-570/बीजी/31बी-14/2022-23 दिनांक 08.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लो0नि0 कार्य -80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन-04-कार्यकारी के अंतर्गत 01 वेतन की मद में बचत की धनराशि रू0 1200.00 लाख को अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लो0नि0 कार्य-80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन-04-कार्यकारी के अंतर्गत 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान की मद में रू0 1000.00 लाख तथा अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लो0नि0 कार्य आयोजनेत्तर-80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशन के अंतर्गत 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान की मद में रू0 200.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1200.00 लाख (रूपये बारह करोड़ मात्र) का पुनर्विनियोग किये जाने की निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है -

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मॉग नही करेगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे ।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है, उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उददेश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये करेंगे ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रूपये 2,00,00,000 (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 054 लेखा शीर्षक 2059800010300 निदेशन मानक मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (2) रूपये 10,00,00,000 (रूपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्यय में अनुदान संख्या 054 लेखा शीर्षक 2059800010400 कार्यकारी मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या-117/2022/आई 215991/002-23-10002-099-6-2022,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

3- मुख्य अभियंता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव